न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 41/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/61

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.खीमाराम पुत्र मूलाराम 2.पन्नाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी लालोणियों नेहरो की ढ़ाणी,तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.जेताराम पुत्र कानाराम 2.भोमाराम पुत्र कानाराम 3.ईशराराम पुत्र सूरताराम 4.पदमाराम पुत्र सूरताराम 5.वाली पत्नी सूरताराम 6.पेमी पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी घड़ोई नाड़ी जानियाना 7.सुनिल पुत्र हेमाराम 8.पुष्पाकांत पुत्र चुतराराम 9.शिवजी पुत्र तगाराम 10.धर्माराम पुत्र जैसाराम 11.हेमाराम पुत्र जैसाराम 12.चुतराराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कड़वासरा मार्केट सिणधरी चौराया बाड़मेर 13.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1,2 व 6

3.विप्रार्थी संख्या 3 से 5 व 7 से 13 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 12.01.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लालोणियों नेहरों की ढ़ाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम लालोणियों नेहरों की ढ़ाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 1,2 वे 6 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया,जो पत्रावली शामिल मिसल है। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 6 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 3 से 5 व 7 से 13 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लालोणियों नेहरों की ढ़ाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लालोणियों नेहरों की ढ़ाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है,क्योकि प्रार्थीगण व विप्रार्थी के वीच सीमाओ को लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत आवेदन की आड़ मे विप्रार्थी की पुरानी माठे को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। अतं प्रार्थीगण का आवेदन खारिल किया जावे।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम लालोणियों नेहरों की ढ़ाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.7.2024 की छायाप्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लालोणियों नेहरों की ढ़ाणी पटवार हल्का जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 363/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार) 12/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.01.2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी 12/01/2026
बालोतरा